UPAU010026002025

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

उपस्थितः—मयंक चौहान, उच्चतर न्यायिक सेवा
(JO Code No. UP2011)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या—52/2025

श्रीमती दुर्गा कुशवाह पुत्री स्व0 सुरेन्द्र सिंह कुशवाह पत्नी मधुर सिंह परिहार, हाल निवासिनी मायका ऐरवाकुईली, थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया।

..... पुनरीक्षणकर्ती।

प्रति

1. उत्तर प्रदेश राज्य,
2. श्रीमती माला पत्नी विजय सिंह, निवासी ग्राम कुसमरा, पोस्ट रूरूगंज, थाना बिधूना, जिला औरैया।

.....प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ती श्रीमती दुर्गा कुशवाह द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 397, 399 दण्ड प्रक्रिया संहिता/436, 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, परिवाद संख्या 234/2024 माला देवी बनाम दुर्गा कुशवाह के मामले में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना, औरैया द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश पारित करते हुए सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ती को धारा 499, 500 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तहत विचारण हेतु आहूत किया गया है।

2. प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादिनी माला देवी द्वारा पुनरीक्षणकर्ती दुर्गा कुशवाह के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया कि वादिनी ग्राम कुसमरा पोस्ट रुरूगंज, थाना बिधूना की मूल निवासिनी है तथा पति पेशे से किसान व समाजसेवी हैं। प्रतिवादिनी श्रीमती दुर्गा कुशवाह जो कि वादिनी की बहन के बेटे मधुर सिंह

परिहार की विवाहिता पत्नी है, पेशे से औरैया जिले के विकास खण्ड ऐरवाकटरा में प्राथमिक विद्यालय कुकरकाट में सरकारी अध्यापिका के पद पर तैनात हैं, ने वर्ष 2021 में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), औरैया के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत परिवाद संख्या 1163/2021 दायर किया, जिसमें वादिनी को भी अपमानित करने एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विपक्षी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाया। उक्त परिवाद के सम्बन्ध में नोटिस/समन वादिनी को नहीं मिला। वादिनी की बहन का लड़का मधुर सिंह जोकि प्रतिवादिया का पति है, को जब समन प्राप्त हुआ, तो वह न्यायालय में उपस्थित हुआ और पत्रावली का अवलोकन अधिवक्ता द्वारा कराया गया, तो पता चला कि दुर्गा कुशवाह ने मुझ वादिनी को भी विपक्षी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाया है। इसकी जानकारी वादिनी के घर में दी गई, तो पति, पुत्र व परिवार वाले (ससुरालीजन) सहित ग्राम के लोगों को वादिनी के पक्ष में मुकदमा विचाराधीन होने की जानकारी होने पर वादिया की सामाजिक छवि खराब हुई तथा प्रतिष्ठा आहत हुयी। उक्त परिवाद का समन प्रतिवादिनी दुर्गा कुशवाह ने जानबूझकर गलत पते पर भिजवाया था, जिससे कि वादिनी न्यायालय में उपस्थित न हो सके और मुझ वादिनी को न्यायालय कानून विरोधी समझकर प्रतिवादिनी दुर्गा कुशवाह के पक्ष में एकतरफा निर्णय पारित कर दे। उक्त परिवाद से वादिनी चिन्तित रहने लगी और उसका मन घर की जिम्मेदारियों में नहीं लगा, जिसका असर वादिनी के पुत्र तन्मय सिंह के जीवनवृत्ति पर भी पड़ा, वह कक्षा 8 पास करके बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहता था, परन्तु अपनी माँ के परेशान रहने के कारण सुचारू रूप से तैयारी नहीं कर सका और उसे बोर्डिंग स्कूल में दाखिला नहीं मिल सका। इस झूठे केस से वादिनी को भारी आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे वादिनी और उसके परिवारीजनों का जीवन नर्क हो गया। वादिनी गाँव के प्रतिष्ठित परिवार से है, झूठे घरेलू हिंसा केस में विपक्षी बनाये जाने के कारण वादिनी को समाज में अनेकों प्रकार के ताने सुनने पड़े और भारी बदनामी हुयी। वादिनी को बार–बार औरैया आने तथा वकील को करने में एवं न्यायालय में उपस्थित होने के कारण स्वयं वादिनी, उसके पति व पुत्र तथा परिवारीजन परेशान रहने लगे। वादिनी के इकलौते पुत्र तन्मय की पढ़ाई पर भी असर पड़ा, पति उच्च रक्तचाप के मरीज हो

गए तथा वादिनी स्वयं अवसाद में रही, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रतिवादिनी (दुर्गा कुशवाह) का है। प्रतिवादिनी दुर्गा कुशवाह ने वादिनी की बदनामी करने हेतु, समाज में भी लोगों से कहा कि, "वादिनी ने मुझे मारापीटा व प्रताड़ित किया है तथा ससुराल वाले घर में अक्सर रहती है, मुझसे दहेज मांगती है" आदि मनगढंत शब्द कहे इस प्रकार से भी वादिनी की बदनामी हुयी। न्यायालय द्वारा सम्यक सुनवाई के उपरान्त आदेश दिनांक 24.07.2023 को उक्त प्रकरण से वादिनी का नाम उपशमित कर दिया गया। प्रतिवादिया (दुर्गा कुशवाह) ने वादिनी को घरेलू हिंसा केस में विपक्षी बनाकर उसके सामान्य जीवन को और अधिक जटिल तथा तनावपूर्ण बना दिया। इस प्रकार वादिनी को झूठे केस से, दौरान विचारण मुकदमा, लगातार भय बना रहा। प्रतिवादिनी द्वारा किये गए कृत्य से वादिनी का, उसके ससुरालीजनों, गाँव व रिश्तेदारों में न केवल बदनामी हुयी, बल्कि इस प्रकरण के उपरांत वादिनी स्वयं तथा उसके पति जो कि पूर्व में लगातार 10 वर्ष 2010–2020 तक ग्राम कुसमरा विकास खण्ड बिधूना के ग्राम प्रधान रहे थे तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, की गरिमा को भी क्षति पहुंची है। प्रतिवादिनी के उक्त कुकृत्यों के कारण वादिनी के अन्तर्मन के आहत होने के साथ ही साथ उसे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानियों के अतिरिक्त, सामजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची, जो अपूर्णीय है और वादिनी की भारी मान–हानि हुयी है। प्रतिवादिनी द्वारा दायर किये गए घरेलू हिंसा परिवाद संख्या 1163/2021 की सत्य प्रतिलिपि मय फर्द सबूत एवं वादिनी के पक्ष में उपशमन का आदेश दिनांकित 24.07.2023 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादिनी को उपरोक्त अपराध के विचारण हेतु तलब करने की कृपा करें।

3. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद के कथनों के समर्थन में धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराया तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं।

4. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ती को धारा 499, 500 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आदेश दिनांकित 21.05.2025 द्वारा विचारण हेतु आहूत किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ती द्वारा यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं आलोच्य आदेश व सम्बन्धित न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पुनरीक्षणकर्ती की ओर से पुनरीक्षण में उल्लिखित आधारों के आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। विपक्षी संख्या–2 ने यह परिवाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षणकर्ती ने एक परिवाद, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), औरैया के समक्ष घरेलू हिंसा का प्रस्तुत किया था, विपक्षी संख्या–2 विपक्षी थी। विपक्षी संख्या–2 का प्रस्तुत परिवाद विधिक रूप से प्रचलन योग्य नहीं है। सम्बन्धित न्यायालय ने मात्र परिवादिनी के धारा 200 दं0प्र0सं0 व 202 दं0प्र0सं0 के बयानों को आधार बनाकर ही तलबी आदेश पारित किया है और किसी तरह की अन्य कोई विवेचना नहीं की है। विपक्षी संख्या–2 के साथ जो अन्य निवेदता उर्फ शिवानी ने धारा 500 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत एक परिवाद अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौज के न्यायालय में परिवाद संख्या 451/2024 कु0 शिवानी उर्फ निवेदता बनाम श्रीमती दुर्गा कुशवाह प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थिनी को न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2024 को विचारण हेतु आहूत किया गया था। प्रार्थिनी ने उक्त आदेश के विरूद्ध सत्र न्यायाधीश कन्नौज में निगरानी संख्या 16/2025 प्रस्तुत की, जो दिनांक 17.04.2025 को स्वीकार की गयी और आहूत किया गया आदेश निरस्त हुआ। न्यायालय द्वारा परिवाद पत्रावली में वर्णित दस्तावेज में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौज द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 20.11.2024 को आधार बनाया गया है, जबकि उक्त आदेश जिला न्यायालय कन्नौज द्वारा एक माह पूर्व 17.04.2025 को ही विधिपूर्वक निरस्त कर दिया गया था। विपक्षी संख्या–2 द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिये गये कथनों में तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया है, जो सीधे न्यायालय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और न्यायालय को गुमराह करने का गम्भीर प्रयास है। विपक्षी संख्या–2 ने कहा कि विवाह के केवल 2–4 दिन ही वादी की पत्नी ससुराल में रही, जो सर्वथा असत्य है, क्योंकि वादी की पत्नी की एक 3 वर्षीय पुत्री है। सम्बन्धित न्यायालय ने आदेश दिनांकित 21.05.2025 से पुनरीक्षणकर्ती को धारा 499, 500 भा0दं0सं0 में तलब किया है, जबकि धारा 499 भा0दं0सं0 परिभाषा की धारा है, जिससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क

का प्रयोग नहीं किया है। विपक्षी संख्या–2 ने प्रार्थिनी के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व कोई नोटिस प्रार्थिनी को नहीं दिया, जो विधिक रूप से दिया जाना आवश्यक है। अतः पुनरीक्षणकर्ती की ओर से उपरोक्त आधारों पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 21.05.2025 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रस्तुत पुनरीक्षण के सम्बंध में सर्वप्रथम संविधिक व निर्णयज विधिक स्थिति का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अर्न्तगत स्थित किसी अवर दण्ड न्यायालय के समक्ष की गयी किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित अथवा पारित किये गये निष्कर्ष, दण्डादेश अथवा आदेश जो अंतरवर्ती आदेश नहीं है, की शुद्धता, वैधता अथवा औचित्य के बारे में और ऐसी अवर न्यायालय की किन्ही कार्यवाहियों के नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 व 204 में प्रावधान किया गया है कि यदि परिवादी तथा साक्षियों के शपथ पर किये गये कथन पर और धारा 202 के अध्याधीन जांच के परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।

9. यदि मजिस्ट्रेट की राय में अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह अभियुक्त को विचारण के लिए आदेशिका द्वारा तलब करेगा।

10. **वाडिया पंचाल प्रति दात्रेइलाजी घडीगांवकर 1960क्रि0लॉज0 1949 एवं महेन्द्र सिंह प्रति गुलवंत सिंह 1992 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1361** में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीश की न्यायपीठ ने यह सुव्यवस्था दी है कि धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता की जांच की व्याप्ति एवं उद्देश्य अत्यंत सीमित हैं, जिसका उद्देश्य मात्र परिवाद पत्र के कथनों की सत्यता का पता लगाना व यह निर्धारित करना होता है कि धारा 204 दण्ड प्रक्रिया

संहिता के आदेश की आदेशिका जारी की जाये अथवा धारा 203 के आधीन परिवाद को खारिज किया जाये।

11. इस प्रक्रम पर की जाने वाली जांच को पूर्ण एवं नियमित जांच का रूप नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि विचारण प्रस्तावित अभियुक्त के तलब होने और उसके द्वारा परिवाद–पत्र के अभिकथनों का उत्तर देने के उपरांत अभियुक्त की दोषिता व निर्दोषिता का न्याय निर्णय के समय ही हो सकेगा। इस प्रक्रम पर न्यायालय को यह नहीं देखना होता है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। इस प्रक्रम पर मात्र यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसमें अभियुक्त को तलब कर विचारण किया जाये। इस प्रक्रम पर विस्तृत जांच अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रश्नगत आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यपूर्णता पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह कथन किया गया है कि विपक्षी श्रीमती दुर्गा कुशवाह, जो उसकी बहन के बेटे मधुर सिंह परिहार की पत्नी है और विकास खण्ड औरैया में प्राथमिक विद्यालय कुदरकोट में सरकारी अध्यापिका है, ने वर्ष 2021 में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/महिलाओं के विरुद्ध अपराध, औरैया के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत एक परिवाद संख्या 1163/2021 दायर किया, जिसमें उसे भी अपमानित करने के उद्देश्य से विपक्षी बनाया गया है। जब इसकी जानकारी उसे व गांव के लोगों को हुई तो उसकी सामाजिक छवि खराब हुई तथा प्रतिष्ठा आहत हुई। परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में भी इसी आशय का कथन किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार कोई भी कथन किसी भी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता, जब तक कि वह कथन दूसरे की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे। उपरोक्त मामले में परिवादिनी का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें उसने कहा है कि गांव में काफी लोगों को पता चला गया था कि उस पर विपक्षी ने मुकदमा किया है, विपक्षिनी ने उसकी बदनामी की है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा भी कम हुई है। उपरोक्त कथन से परिवादिनी की समाज में

छवि खराब हुई या नहीं, यह साबित नहीं होता है। परिवादिनी द्वारा किसी स्वतन्त्र साक्षी का कथन धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नहीं कराया गया है, जिनके द्वारा यह कथन किया गया हो कि परिवादिनी के विरूद्ध झूठे आरोपों की जानकारी जब उन्हें हुई, तब परिवादिनी की प्रतिष्ठा समाज में खराब हुई। किसी स्वतन्त्र साक्षी द्वारा प्रतिष्ठा खराब होने की पुष्टि किए बिना मानहानि का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है, परन्तु सम्बन्धित न्यायालय के आलोच्य आदेश के अवलोकन से दर्शित होता है कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई ध्यान न देकर यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा उक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.05.2025 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। पुनरीक्षण बलयुक्त होने के कारण स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.05.2025 अपास्त किया जाता है।

इस निर्णय/आदेश की प्रति के साथ सम्बन्धित न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाये कि सम्बन्धित न्यायालय निर्णय में किये गये सम्प्रेक्षण के आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे। पुनरीक्षण पत्रावली अभिलेखागार संग्रहीत की जाये।

दिनांक 10.08.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 10.08.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.08.10 16:05:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court